जालौन पुलिस

दिनांक –29.10.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए 01 अभियोग में 04 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण – अभियुक्तगण 1. मंगली केवट पुत्र सीताराम 2. मोतीलाल केवट पुत्र मवई केवट नि0गण विजवाहा थाना कुठौन्द जनपद जालौन 3. राकेश उर्फ रामकेश पुत्र रामशरण 4. गोधन पुत्र नाथूराम नि0गण राजेन्द्र नगर कोतवाली उरई जनपद जालौन द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ थाना कोत0 उरई क्षेत्र में वादी/पीड़ित शिवकुमार शर्मा पुत्र धनलाल शर्मा नि0 ग्राम कुरौती थाना माधौगढ, हालनिवास राजेन्द्र नगर कोत0 उरई जनपद जालौन को नौकरी दिलाने के बहाने ले जाकर मारपीट करना, बंधक बना लेना एवं 01 लाख रु0/- की मांग करने की घटना के सम्बन्ध में कोत0 उरई में मु0अ0सं0 1323/2004 (वाद संख्या– 04/2005, 160/2005) धारा 364ए/395 भादवि पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 29.10.2024 को मा0 न्यायालय स्पे0 जज डकैती कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त मंगली केवट उपरोक्त को धारा 364ए भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 50,000 रु0/- अर्थदण्ड से एवं अभि0गण मोतीलाल केवट, राकेश उर्फ रामकेश एवं गोधन उपरोक्त को धारा 365 भादवि में दोषी पाते हुए 07-07 वर्ष का कारावास एवं 20-20 हजार रु0/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।